यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ा–पत्र संख्या :–106 / 2023 दायर दिनांक– 13.6.2023

CMS NO:- 2023/174 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

छोटूलाल आ0 किशोरलाल जाति गुर्जर नि0 जैतपुर

प्रार्थी

बनाम

भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जैतपुर में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की तरमीमशुदा खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 128 / 1 रकबा 2.4270 हैक्टयर स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि को पडोसीयों द्वारा कब्जा करने का अंदेशा है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दिये गए सीमाज्ञान आवेदन पर दिनांक 17.7.2022 को पटवारी हल्का द्वारा जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया और मौका पर्चा बनाकर मौखिक रूप से कहा गया कि पत्थगढी करने व पुलिस इमदाद से करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। यह कि उपरोक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थगढी करवाने हेतु प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकार व आधिपत्य व तरमीमशुदा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अधिकार प्राप्त है। दिनांक 17.07.2022 को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र देने से प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न हुआ। जिससे प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति, शपथ पत्र आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 128 / 1 का सीमाज्ञान पूर्व मे पटवारी हल्का जैतपुर द्वारा दिनांक 12.07.2022 को किया जा चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम जैतपुर के खसरा नम्बर 128 / 1 रकबा 2.4270 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ